न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 31/2021

श्री सैयद अरशदुल इस्लाम निवासी गोल मस्जिद के पिछे गड्डा पहाडिया सिविल लाईन रोड टोंक जिला टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 11–11–2021**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 6–08–2021 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :-

संलग्न नामांतरण संख्या के 3692 की

1 निर्णय और आदेश की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमणित नकल
2 वारिसान के जॉच का मौका परचा नामे की प्रमाणित नकल
3 श्रीमान एस.डी.ओ. महोदय द्वारा खातेदार काजी उल इस्लाम के पिता का नाम जमाबन्दी में इंद्राज जारी आदेश की पी.सी. की प्रमाणित नकल
4 संलग्न नामांतरण संख्या 3725 के रिपोर्ट पटवारी जॉच डी एल आर एवं रजि0 हक त्याग पत्र की पत्रावली की प्रमाणित नकल

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई एंव दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंर्क को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा पत्र क्रमांकः/पी.ए.2021/821 दिनांक 9–11–2021 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सुचना कार्यालय तहसीलदार टोंक से संबंधित होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आवेदन पत्र तत्समय ही अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतुं इस कार्यालय के पत्रांक पी.ए.2020/2213 दिनांक 17.8.2021 द्वारा तहसीलदार टोंक व अपीलार्थी को जरिये डाक से सूचित किया जा चुका है, जिसकी छाया प्रति जवाब के साथ संलग्न की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना के सम्बन्ध में जवाब दिया जा चुका हैं। अपीलान्ट तहसील कार्यालय टोंक से सूचना प्राप्त करे। सूचना प्राप्त नही होने की स्थिति में सक्षम अपीलेट अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:51:42 IST
Reason: SelfAttested

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)